न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री सुखाराम पिण्डेल आरएएस

प्रकरण सं0 : 62/2017

अनवान :

परवेज बाबर पुत्र मोहम्मद ईकबाल जाति कायमखानी निवासी वार्ड नं0 3 भादरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

– सायल

बनाम

1. मोहम्मद ईकबाल पुत्र मोहम्मद सुलेमान पुत्र रसीद खां जाति कायमखानी निवासी भादरा हाल बीकानेर ई–18 बी कान्ता खतुरिया कॉलोनी बीकानेर (राज0)
2. ईमरान खान पुत्र मोहम्मद ईकबाल जाति कायमखानी निवासी भादरा हाल बीकानेर ई–18 बी कान्ता खतुरिया कॉलोनी बीकानेर (राज0)
3. बलकिश खान पत्नी मोहम्मद ईकबाल जाति कायमखानी निवासी भादरा हाल बीकानेर ई–18 बी कान्ता खतुरिया कॉलोनी बीकानेर (राज0)
4. गुलहसन पुत्र मोहम्मद सुलेमान जाति कायमखानी निवासी रेलवे फाटक के पास, भादरा तहसील भादरा।
5. फिरोज पुत्र मोहम्मद सुलेमान जाति कायमखानी निवासी वार्ड नं0 3 भादरा तहसील भादरा।
6. उप पंजीयक एवं तहसीलदार राजस्व भादरा।

– गैरसायलान

दरख्वास्त बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 212 राज0काश्त0अधिनियम 1955
उपस्थिति : वकील श्री मदनलाल सोनी **: सायल**
निर्णय. **दिनांक :** 18.07.2019

संक्षेप में दरख्वास्त के तथ्य इस प्रकार है कि वाके चक 12 बीएचडी की जमाबन्दी सम्वत् 2070 से 73 के खाता सं0 35/38 के मु0नं0 6 के किला नं0 10 ता 14 के प्रत्येक किला की 0.253 है0 किला नं. 15 की 0.253 है0 मय रास्ता 0.038 है0 मु0नं0 7 के किला नं0 3 ता 7, 15 के प्रत्येक किला की 0.253 है0 कुल 3.036 है0 नहरी 2.998 है0 रास्ता 0.038 है0 कृषि भूमि खातेदारी में से 160 है0 हिस्सा भूमि सायल के दादा मोहम्मद खां सुलेमान के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है और गांव धोलपालिया की जमाबन्दी सम्वत् 2070 से 73 के खाता सं0 72/79 के खसरा सं0 165 की 5.286 है0 बारानी में से सायल के दादा मोहम्मद खां सुलेमान का 1/4 हिस्सा कृषि भूमि खातेदारी है।

उक्त वर्णित भूमि चक 12 बीएचडी की कुल 3.036 है0 नहरी में से 160 हिस्सा यानि 2.024 है0 नहरी भूमि सायल के दादा की है जिसमें से सायल के पिता प्रतिवादी सं0 1 का 1/3 हक व हिस्सा है जो पारिवारिक सैटलमेन्ट में सायल के हक व हिस्सा में आया हुआ है और गांव धोलपालिया की कुल 5.286 है0 में से सायल के दादा का 1/4 हिस्सा में से सायल के पिता का 1/3 हिस्सा यानि 1/12 हिस्सा भूमि है जो पारिवारिक सैटलमेन्ट में सायल के हक व हिस्सा में आयी हुई है।

18.7.19
उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

उक्त वर्णित भूमि संयुक्त खाते की दादालाई कृषि भूमि है जिसमें सायल का जन्म से हिस्सा निहित है और पारिवारिक समझौते में गैरसायल सं0 1 के हिस्सा की उक्त वर्णित भूमि सायल को मिली हुई है जिसका अभी पक्षकारान के दरमियान हक हिस्सा व खाता विभाजन नहीं हुआ है। प्रतिवादीगण ने उक्त भूमि को विक्रय करने की धमकी दी है जिसके लिऐ उन्होने ग्राहक तैयार कर रखे है। अगर गैरसायलान वाद भूमि को विक्रय कर देते है तो सायल को ना पूरा होने वाला नुकसान होगा, अनावश्यक मुकदमे बाजी बढेगी इसलिए सायल गैरसायलान को जरिऐ अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द करवा पाने का कानूनी अधिकारी है कि वे वाद भूमि को किसी अजनबी व्यक्ति को रहन, बैय व मुन्तकिल न करें। सायल के कब्जा काश्त में किसी भी प्रकार से मदाखलत बेजा स्वयं या अपने आदमियों की मार्फत नहीं करवाये। गैरसायल सं0 6 उप पंजीयक भादरा को पाबन्द किया जावे कि वे वाद भूमि से सम्बंधित कोई इकरारनामा, रहननामा, बैयनामा आदि पेश करने पर उसे तस्दीक व दर्ज रजिस्टर नहीं करे।

दरख्वास्त पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर गैरसायलान को जरिये नोटिस तलब किया गया। नोटिस तामील होने के उपरान्त भी गैरसायलान न्यायालय हाजा में उपस्थित नहीं आऐ उन्हें बार बार आवाज लगाई गई। उपस्थित नहीं आने के कारण उनके विरूद्ध एक पक्षिय कार्यवाही अमल में लाई गई।

बहस वकील प्रार्थी सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने कथन किया कि वाद भूमि मेरे दादा मौहम्मद सुलेमान खां के नाम दर्ज है सायल के पिता प्रतिवादी सं0 1 का 1/3 हिस्सा है जो कि पारिवारिक सैटलमेन्ट में सायल के हक व हिस्सा में आया हुआ है जिसका पक्षकारान के दरमियान हक हिस्सा व खाता विभाजन नहीं हुआ है। प्रतिवादीगण वाद कृषि भूमि अजनबी व्यक्ति को विक्रय करने की धमकी दे रहे है। इस प्रकार प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार कर अप्रार्थीगण को ताफैसला दावा जरिऐ अस्थाई निषेधाज्ञा के पाबन्द किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक प्रार्थी की बहस पर मनन किया गया। हस्तगत प्रार्थना पत्र प्रार्थी ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध चक 12 बीएचडी के खाता सं0 25/38 की कुल 3.038 है0 कृषि भूमि व ग्राम धोलपालिया के खाता सं0 72/79 की कुल 5.286 है0 कृषि भूमि की बाबत ताफैसला दावा अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करवाने हेतु पेश किया है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र व बहस में जाहिर किया है कि वाद भूमि जो वादी के दादा के नाम दर्ज है के पारिवारिक सैटलमेन्ट में सायल के पिता प्रतिवादी सं0 1 का हिस्सा आना अंकित है अप्रार्थीगण ने प्रार्थी के प्रार्थना में अंकित उक्त कथनों का कोई खण्डन प्रस्तुत नहीं किया है तथा बार बार आवाज लगाये जाने के उपरान्त भी बावजूद तामील अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु अदालत हाजा में उपस्थित नहीं आये जिसे अप्रार्थीगण की मौन स्वीकृति होना उचित प्रतित होता है। चूंकि पक्षकारान के हिस्सों का निर्धारण दावा के निर्णय से होना है तब तक यह आवश्यक है कि पक्षकारान के हिस्से सुरक्षित रहे। इस प्रकार प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी की कृषि भूमि की हद तक बनना पाया जाता है। जहां तक सुविधा का सन्तुल व अपूर्णिय क्षति के बिन्दू का प्रश्न है तो वहां अप्रार्थीगण को कोई असुविधा होना व अपूर्णीय क्षति होना प्रतीत नहीं होता है। यदि अप्रार्थीगण कृषि भूमि को रहन बैय मुन्तकिल करते है तो प्रार्थी को अवश्य ही असुविधा होगी व नुकसान होगा। इस प्रकार सुविधा का सन्तुलन व अपूर्णीय क्षति के बिन्दु भी प्रार्थी के पक्ष में बन रहे है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनों बिन्दू 1. प्रथम दृष्टया मामला 2. सुविधा का सन्तुलन 3. अपूर्णीय क्षति प्रार्थी के पक्ष में साबित है।

10.2.12
उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ)

अत : दरख्वास्त अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि अप्रार्थीगण सं0 1 ता 5 रोही मौजा चक 12 बीएचडी के खाता सं0 35/38 के मु0नं0 6 के किला नं0 10 ता 14 के प्रत्येक किला की 0.253 है0 किला नं. 15 की 0.253 है0 मय रास्ता 0.038 है0 मु0नं0 7 के किला नं0 3 ता 7, 15 के प्रत्येक किला की 0.253 है0 कुल 3.036 है0 नहरी 2.998 है0 रास्ता 0. 038 है0 कृषि भूमि खातेदारी में से 160 है0 हिस्सा भूमि सायल के दादा मोहम्मद खां सुलेमान के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है और गांव धोलपालिया के खाता सं0 72/79 के खसरा सं0 165 की 5.286 है0 बारानी में से सायल के दादा मोहम्मद खां सुलेमान का 1/4 हिस्सा कृषि भूमि खातेदारी है में प्रार्थी की कृषि भूमि की हद तक किसी विशेष भू-भाग को रहन बैय या दिगर तरीके से मुन्तकिल नहीं करे। अप्रार्थी सं0 6, अप्रार्थीगण सं0 1 ता 5 द्वारा उपरोक्त वाद भूमि की बाबत पेश किसी इकरारनामा, रहननामा, बैयनामा आदि को तस्दीक व दर्ज रजिस्टर नहीं करे।

निर्णय आज दिनांक 10.07.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्डाधिकारी, भादरा, जिला हनुमानगढ़ (राज.)

10.7.19

(सुखाराम पिण्डेल) (राजस्व)
R.A.S.
उपखण्डाधिकारी
भादरा (जिला हनुमानगढ़)
उपखण्ड अधिकारी
भादरा, जिला हनुमानगढ़